भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 121

दिनांक 2 फरवरी, 2017 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण

121. **श्री भैरों प्रसाद मिश्रः**
डॉ. उदित राजः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज प्रणाली में प्रमुख परिवर्तन लाने से संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है एवं केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थानों को पर्याप्त निधियां प्रदान नहीं की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गांवों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने और दैनिक कार्यों में बेहतर सशक्तिकरण करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पंचायती राज, राज्य मंत्री
(श्री परषोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (73वां सीएए), 1992 जिसे संविधान के भाग IX के रूप में शामिल किया गया है, ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईज़) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। भारत के संविधान ने पंचायतों को "स्थानीय स्व-सरकार के संस्थानों" के रूप में मान्यता प्रदान की है। "पंचायतों" को "स्थानीय निकाय" होने के कारण भारत के संविधान के भाग IX और इसकी सातवीं अनुसूची (अनुच्देद 246) की सूची-II (राज्य सूची) के अंतर्गत राज्य विषय के रूप में अधिदेशित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए संविधान के भाग-IX के अंतर्गत

.....2

अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं जिनमें पंचायतों के तीन स्तर, पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव और ब्लॉक एवं जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुसूचित जातियों (एससीज़), अनुसूचित जन जातियों (एसटीज़) और महिलाओं के लिए सीटों और पदों के आरक्षण, अध्यक्षों की आरक्षित सीटों और उनके पदों का रोटेशन एवं राज्य चुनाव आयोगों का गठन करना और प्रत्येक पांच वर्षों में पंचायतों के चुनाव करवाना, पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में समय से चुनाव कराने तथा कुछ राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के गठन में विलंब को छोड़कर, सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। संविधान के भाग-IX का अनुच्छेद 243 छ राज्य विधान मंडलों को इस विवेकाधिकार की अनुमति देता है कि वे पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अध्ययनों और राज्यों के साथ चर्चाओं के माध्यम से समय-समय पर संविधान के भाग-IX के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है ।

(ग) और (घ): 12वीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) दृष्टिकोण दस्तावेज अच्छे कार्यान्वयन, बेहतर जवाबदेही तथा ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना निमित्त करने तथा समावेशिता बढ़ाने और गरीबी कम करने के उद्देश्य के साथ मूलभूत सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को एक चुनौती के रूप में उल्लेख किया है। तद्नुसार, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) संविधान के भाग-IX के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों (ईआरज़) सहित पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का प्रावधान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु अनेक कदम उठा रहा है ताकि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें । चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के अंतर्गत वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए मूलभूत सेवाएं प्रदान करने, प्रचालनों और रख-रखाव के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता देने, स्थानीय निकायों के प्राप्ति एवं व्यय की लेखा-परीक्षा की हुई खातों के माध्यम से विश्वसनीय डाटाबेस सृजित करने तथा ग्राम पंचायतों के अपने स्वयं के स्रोत राजस्व में सुधार करने के लिए संविधान के भाग-IX के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायतों को 2,00,292.20 करोड़ रूपए का अनुदान अंतरित किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय, उन राज्यों जिन्होंने पंचायतों को अधिक कार्य, निधियां और कार्मिक अंतरित किए हैं, का प्रोत्साहनीकरण किया है। इन राज्यों को परामर्शिका जारी करने के माध्याम से तथा ग्राम पंचायतों द्वारा प्रभावी विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए नियमित रूप से सहायता की जा रही है ।

******